जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 22.11.2022 को जिलाधिकारी महराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु फेज-2 में चयनित फर्म मै0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरू सेनर्जी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई द्वारा प्रस्तुत 12 नग डी0पी0आर व फेज-3 में चयनित फर्म मै0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लाट नं0- 37.39 नवोदया कालोनी, रोड नं0-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत 59 नग डी0पी0आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्तावः-

जनपद महराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुरक्षण (10 वर्ष) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा फेज-2 हेतु फर्म मै0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) 6वां तल, कलपतरू सेनर्जी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई को 446 राजस्व ग्राम एवं फेज-3 हेतु फर्म मै0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लाट नं0 37-39 नवोदया कालोनी, रोड नं0-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना को 652 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदनोपरान्त फेज-2 हेतु फर्म मै0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) को कुल 446 राजस्व ग्रामों की सूची एवं फेज-3 हेतु फर्म मै0 रिथविक कोया (जे.वी.) को कुल 651 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में जल जीवन मिशन फेज-2 अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा वर्तमान तक अनुमोदित कराये गये 421 राजस्व ग्रामों के 323 नग डी0पी0आर0 एवं फेज-3 अन्तर्गत 369 राजस्व ग्रामों के 212 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुकें है।

वर्तमान में फेज-2 अन्तर्गत **मै0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.)** द्वारा 12 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये है जिसमें 14 ग्राम पंचायतों के 17 राजस्व ग्रामों की कुल 91 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 8985 घरो को FHTC प्रदान किया जाना है। एवं फेज-3 अन्तर्गत फर्म मै0 रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा 59 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये है जिसमें 76 ग्राम पंचायतों के 95 राजस्व ग्रामों की कुल 225 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 27597 घरो को FHTC प्रदान किया जाना है।

बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये 2 नग डी0पी0आर0 विद्युत आधारित एवं 10 नग डी0पी0आर0 सोलर आधारित है। उक्त में से 4 नग डी0पी0आर0 नामतः बलुअहिया वनग्राम (ग्राम पंचायत सोनाड़ी), हथियहवा वनग्राम (ग्राम पंचायत सोनाड़ी), चेतरा नर्सरी वनग्राम (ग्राम पंचायत जगपुर उर्फ सलामतगढ़) एवं ब्रम्हपुर पेयजल योजना के डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रू0 6400 से अधिक है। फेज-3 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये समस्त 59 नग डी0पी0आर0 सोलर आधारित है। उक्त में से 18 नग डी0पी0आर0 नामतः माधवपुर, करमहिया, गौनरिया, रजवल मदरहां, चुनवटिया, रजौढा पंजुन, मटकोपा, टेढवा, झांगापार, रिठिया पडरी, कुशहा, बेला, बन्धा, चन्दनपुर, बेलौही, बडहरा वैद्य, कुरहवा खुर्द एवं हरपुर पेयजल योजना के डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रू0 6400 से अधिक है। उक्त ग्रामों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ग्रामों को किसी अन्य ग्राम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक है, परन्तु वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु निर्गत निर्देशों की सीमा में 80 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक संशोधन किये जाने के फलस्वरूप JJM पोर्टल पर प्रति व्यक्ति लागत रू0 8000.00 स्वीकार्य है।

इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 344/W-17/2020-21 दिनांक 04जून,2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार विद्युत से संचालित नलकूप के प्रकरण में 16 घंटे Pumping Hours मानते हुये डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है व वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु यथा संशोधित निर्देशों के क्रम में अनुमन्य सीमा 80 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की सीमा के अनुसार डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है। उक्त समस्त डी0पी0आर0 में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/E-46/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार DI/ HDPE Pipe का प्राविधान किया गया है। **अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी0पी0आर0 में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR(2019-20) की दरों से लगभग 10-20 % तक अधिक है।** दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सचिव) से इस विषय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि

Scanned with OKEN Scanner

इण्डेक्स प्लान के अनुसार ग्राम में कोई भी क्षेत्र पेयजल की सुविधा से वंचित नही रहेगा, अर्थात शतप्रतिशत बस्तियों को पाइप पेयजल से संतृप्त करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

निर्णयः– अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महराजगंज द्वारा फेज–2 अन्तर्गत 14 ग्राम पंचायतों के 17 राजस्व ग्रामों की कुल 91 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये 12 नग डी0पी0आर0 में से 4 नग डी0पी0आर0 जिनकी प्रति व्यक्ति लागत रू0 6400.00 से अधिक है एवं फेज–3 अन्तर्गत 76 ग्राम पंचायतों के 95 राजस्व ग्रामों की कुल 225 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्रस्तुत किये गये 59 नग डी0पी0आर0 में से 18 नग डी0पी0आर0 जिनकी प्रति व्यक्ति लागत रू0 6400.00 से अधिक है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म से उपरोक्त 4 नग एवं 18 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत के अधिक होने के स्पष्ट कारण का आख्या प्राप्त कर त्रिस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कराते हुये अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये। फेज–2 अन्तर्गत उक्त 4 नग डी0पी0आर0 के अतिरिक्त अवशेष 10 ग्राम पंचायतों के 13 राजस्व ग्रामों की कुल 85 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु 8 नग डी0पी0आर0 एवं फेज–3 अन्तर्गत उक्त 18 नग डी0पी0आर0 के अतिरिक्त अवशेष 58 ग्राम पंचायतों के 73 राजस्व ग्रामों की कुल 177 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु 41 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से करने हेतु अनुमोदन पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं शतप्रतिशत डी0पी0आर0 शीघ्र प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही कवर एग्रीमेन्ट हो चुके समस्त पाइप पेयजल योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करते हुये कार्यो की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये एवं स्वीकृत हो चुकी समस्त पाइप पेयजल योजनाओं के त्रपक्षीय अनुबन्ध तत्काल कराते हुये कवर एग्रीमेन्ट की कार्यवाही हेतु व शतप्रतिशत भूमि के चिन्हांकन/सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 व मे0 रिथविक कोया (जे.वी.) दिये गये जिससे कार्य के दौरान अनावश्यक विलम्ब ना हों। उक्त के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य समय से ना होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया एवं अवगत कराया गया कि खोदी गयी ट्रेंच के समतल ना होने के कारण दुर्घटना होने की प्रबल समस्या है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 व मे0 रिथविक कोया (जे.वी.)निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने के बाद ट्रेंच का समुचित मृदा भराव के साथ रोड रेस्टोरेशन का कार्य मानक अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर किया जाये, एवं इसकी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये। साथ ही शासन से निर्धारित माह–दिसम्बर 2022 तक FHTC के लक्ष्य प्राप्त करने का प्लान उपलब्ध कराये जाने एवं प्रत्येक दिवस 600 नग FHTC कराये जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं प्रोजेक्ट मैनेजर फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 को दिये गये।

22/11/22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
महराजगंज

जिला विकास अधिकारी
महराजगंज

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज

जिला कृषि अधिकारी
महराजगंज

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महराजगंज

अधिशासी अभियन्ता (सिचाई)
महराजगंज

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महराजगंज

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

प्रभागीय वनाधिकारी
महराजगंज

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष DWSM
महराजगंज

जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWSM
महराजगंज

Scanned with OKEN Scanner